भाकृअनुप.–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006
श्रीगंगानगर हाईवे, बीछवाल इन्डस्ट्रीअल एरिया पोस्ट ऑफिस, बीकानेर (राज.)-334006
Email ciah@nic.in AO/AAO 0151-2253123

F. No.: 07(ii)11/CS/GeM/Vehicle Hiring/2024-25 - 6123 Dated: 18.12.2025

Mail/Speed POST

श्रीमान मैसर्स वेद प्रकाश जाट,
जैन कोलेज के पीछे, बीज फेक्टरी के पास,
गंगाशहर बीकानेर -334001 (Raj.)

विषय : संस्थान में providing Vehicle on hire as and when required हेतु अनुबंध बाबत।

संदर्भ : 1. आपकी निविदा क्रमांक शून्य दिनांक 19.11.2025.
2 Institute latter No. 07(ii) 11/CS/GeM/Vehicle Hiring/2024-25/5826 dated 04.12.2025.
3 Your letter No. 77821 dated 05.12.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान में निम्नलिखित अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहन संस्थान की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने के संबध में आपके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दरों को संस्थान के सक्षम अधिकारी के द्वारा आगामी एक वर्ष के लिये अनुमोदित कर दिया है:-

S.No.	Type of Vehicle	M/s Ved Prakash Jaat, Bikaner			
		ए.सी. दर प्रति कि.मी.300 किलो मीटर के अतिरिक्त वाहन चलने पर	नॉन ए.सी. दर प्रति कि.मी.300 किलो मीटर के अतिरिक्त वाहन चलने पर	ए.सी. Vehicle दर प्रतिदिन कम से कम 300 किलोमीटर न्यूनतम चार्जेज Rs.	Non AC Vehicle दर प्रतिदिन कम से कम 300 किलोमीटर न्यूनतम चार्जेज Rs.
1	Innova	15.85	14.30	4800.00	4350.00
2	Bolero	14.00	13.00	4150.00	3900.00
3	SUV 5 Seater	14.00	13.00	4170.00	4050.00
4	Bolero Pickup	15.00	14.50	4500.00	4350.00
5	Mini Bus 20 Seater	35.50	34.50	10800.00	10450.00
6	देय टैक्स, पार्किंग Charges इत्यादि	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.
7	Night Charges/ रात्रि विश्राम Charges	477.00	477.00	477.00	477.00

अत: आपसे अनुरोध है कि संलग्न अनुबंध नियम व शर्तो अनुसार संस्थान की आवश्यकता अनुसार किराये पर वाहन उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार ।

18/12/25

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

PTO

प्रतिलिपि: ईमेल - इस आशय के साथ कि किराये के वाहन हेतु मांगकर्ता निदेशक महोदय से स्वयं के स्तर पर अनुमोदन लेकर ही मांगपत्र कार्यलय में प्रस्तुत करें ताकि फर्म को वाहन उपलब्ध करवाने हेतु तुरन्त सूचित किया जा सकें।

1. कार्य सहायक भंडार, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
2. कार्य सहायक बिल, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
3. वित्त एंव लेखा अधिकारी, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
4. प्रभारी वाहन, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
6. प्रभारी फार्म, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
7. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केबापके, वेजलपुर।
8. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर।
9. गार्ड फाईल।
10. प्रभारी एकेएमयू, भाकृअनुपकेशुबास, बीकानेर-संस्थान की वेबसाईट पर रखने हेतु।
11. सभी वैज्ञानिक को मेल द्वारा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AF 859951

21 NOV 2025

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबंध ......21/11/2025........को ....2025..... दिन ..शुक्रवार.......2025 को सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (इसके बाद संस्थान कहलायेगा) मैसर्स वेद प्रकाश जाट, जैन कोलेज के पीछे, बीज फेक्टरी के पास, गंगाशहर, बीकानेर (इसके बाद संस्थान में आवश्यकता होने पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाला अनुबंधकर्ता कहलायेगा) के बीच किया गया है। जबकि संस्थान ने अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न कार्या/सेवा संविदा के आधार पर वाहन किराये पर नेले की इच्छा व्यक्त की है:-

S.No.	Type of Vehicle	M/s Ved Prakash Jaat, Bikaner			
		ए.सी. दर प्रति कि.मी.300 किलो मीटर के अतिरिक्त वाहन चलने पर	नॉन ए.सी. दर प्रति कि.मी.300 किलो मीटर के अतिरिक्त वाहन चलने पर	ए.सी. Vehicle दर प्रतिदिन कम से कम 300 किलोमीटर न्यूनतम चार्जेज Rs.	Non AC Vehicle दर प्रतिदिन कम से कम 300 किलोमीटर न्यूनतम चार्जेज Rs.
1	Innova	15.85	14.30	4800.00	4350.00
2	Bolero	14.00	13.00	4150.00	3900.00
3	SUV 5 Seater	14.00	13.00	4170.00	4050.00
4	Bolero Pickup	15.00	14.50	4500.00	4350.00
5	Mini Bus 20 Seater	35.50	34.50	10800.00	10450.00
6	देय टैक्स, पार्किंग Charges इत्यादि	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.	As per Govt. Rules.
7	Night Charges/ रात्रि विश्राम Charges	477.00	477.00	477.00	477.00

अतः संस्थान और अनुबंधकर्ता दोनों के बीच निम्नलिखित सहमति हुई है:-

वेदप्रकाश जाट
जैन कॉलेज के पीछे, बीज फैक्ट्री के पास
रोड नं. 5 गंगाशहर (बीकानेर)

ATTESTED
5-12-2025
NOTARY, GOVT. OF INDIA

1. वाहन वर्ष जनवरी **2023** से पहले का नही होना चाहिए तथा कॉमर्शियल नम्बर होने चाहिए ।
2. अनुबंध जारी होने के पश्चात मांग के अनुरुप वाहन निश्चित दिनांक व समय पर उपलब्ध करवाना होगा ।
4. वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाने या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर वैकल्पिक वाहन तुरंत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाना होगा तथा क्षति की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी ।
5. वाहन का माइलोमीटर सही रहना आवश्यक है । खराब होने की स्थिति में :
   क) संस्थान अनुमानित किलोमीटर निर्धारण का अधिकार रखता है ।
   ख) खराब माइलोमीटर को तुरन्त सही करवाना आवश्यक रहेगा ।
6. दावों का निपटारा बीकानेर स्थित न्यायालयों की परिधि में ही किया जायेगा ।
7. वाहन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात एवं उत्तराखण्ड आदि राज्यों के जिलों के विभिन्न गाँवों में भी ले जाया जायेगा ।
8. ठेका अन्य व्यकित को स्थानान्तरित नही किया जा सकेगा ।
9. वाहन चालक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वाहन के साथ स्वीकार्य नही है ।
10. रात्रि विश्राम के लिये वाहन को रोकना भी पड़ेगा, जिस हेतु नियमानुसार भुगतान किया जायेगा ।
11. वाहन संपूर्ण संविदा अवधि के लिये पंजीकृत, काम्प्रीहेंसीव बीमा, फिट्नेस व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र, दस्तावेज, टैक्सी परमिट से कवर्ड आदि से ही पूर्ण होना चाहिए ।
12. ठेकेदार के वाहन एवं कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि (**Performance Security money Rs. 10000/-**) जब्त कर ली जावेगी ।
13. यात्रा कार्यों के दौरान संस्थान के सामान जो वाहन में ले जाया जा रहा है, के खो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी ।
14. वाहन मांग के अनुसार उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में अधिकतम 10% पेनेल्टी राशि बिल में से काट ली जायेगी ।
15. वाहन चालक के पास मान्य लाईसेंस होना आवश्यक है तथा वह व्यवहार कुशल एवं साक्षर व निर्धारित वर्दी में होना चाहिए ।
16. किलोमीटर की गणना CIAH के कार्यालय भवन से की जावेगी और CIAH कार्यालय से वाहन की रवानगी से पूर्व माइलो मीटर के अनुसार वाहन उपयोगकर्ता को रीडिंग नोट करवाना होगा एवं वाहन चालक को यात्रा समाप्ति पर लॉग बुक / कुल किलोमीटर माँगकर्ता को नोट करवाना होगा।
17. संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की ईंधन, अग्रिम राशि इत्यादि देय नही होगी । भुगतान इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम द्वारा आवश्यक टैक्स आदि की कटौति उपरान्त किया जायेगा ।
18. वर्तमान अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
19. निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा ।

आज निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति मे दोनों पक्षों ने अपने हस्ताक्षर किये।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाले अनुबंधकर्ता की ओर से

वेदप्रकाश ट्रांसपोर्ट
जैन कॉलेज के पिछे, बीज फक्ट्री के पास
रोड न. 5, गंगाशहर (बीकानेर)

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम एवं मोहर/सील

साक्षी

1. सुरेश कुमार, ग्राम= नाइरासर, जिला= श्री गंगानगर
2. राजपाल सिंह - बल्लौर, ग्राम = नाइरासर, जिला = श्री गंगानगर

संस्थान /परिषद की ओर से

हस्ताक्षर

निदेशक/DIRECTOR
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

पदनाम संहित नाम

कार्यालय अध्यक्ष
Head of Office
के.शु.बा. संस्थान/CIAH
बीकानेर/Bikaner

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

ATTESTED 16.12.2025
CENTRAL NOTARY, GOVT. OF INDIA
BIKANER (RAJASTHAN)